मांग | जबलपुर-मंडला-बिलासपुर रेल लाइन को फाइनल सर्वे का इंतजार

महाकौशल-छग रेल कॉरिडोर से मिलेगी आदिवासी अंचल को नई पहचान

धनंजय श्रीवास्तव

जबलपुर, नवभारत। मध्य भारत के आदिवासी अंचलों की बहुप्रतीक्षित बिलासपुर-मुंगेली-पंडरिया-बिछिया-मंडला-जबलपुर रेल कॉरिडोर परियोजना एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। करीब 22 साल पहले रेलवे बोर्ड द्वारा दिए गए एक विशेष प्रावधान के आधार पर अब इस परियोजना के पुनः सर्वे और पुनर्जीवन की मांग तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के छोटे जिलों के प्रतिभावान लोगों और नितिन सोलंकी जैसे स्वतंत्र रेल एक्टिविस्ट ने रेलवे बोर्ड के 12 मई 2004 के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि रेलवे ने स्वयं परियोजना की 10 साल बाद समीक्षा का प्रावधान रखा था। ऐसे में 2014 के बाद अब तक रिव्यू सर्वे नहीं होना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इस संबंध में रेल मंत्रालय में शिकायत क्रमांक भी दर्ज कराई गई हैं और मांग की गई है कि रेलवे बोर्ड जल्द अपडेटेड ट्रैफिक सर्वे कराकर इस परियोजना को राष्ट्रीय प्राथमिकता कॉरिडोर के रूप में आगे बढ़ाए।

2003-04 में हुआ था सर्वे

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2003-04 में लगभग 372 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग का सर्वे किया गया था। उस समय रेलवे ने कम रेट ऑफ रिटर्न का हवाला देकर परियोजना को स्थगित कर कर दिया था। हालांकि, रेलवे बोर्ड के आदेश में यह उल्लेख भी किया गया था कि भविष्य में परिस्थितियां अनुकूल होने पर परियोजना की पुनः समीक्षा की जा सकती है। अब रेल विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले दो दशकों में क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं, जिससे इस परियोजना की व्यावहारिकता पहले की तुलना में काफी बेहतर हो सकती है।

अब 12 से 14 प्रतिशत आरओआर की संभावना

रेल एक्टिविस्टों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2016 में हुए राजनांदगांव-मंडला-जबलपुर सर्वे में क्षेत्र की आर्थिक संभावनाएं बेहतर दिखाई दी थीं। वर्तमान परिस्थितियों में यदि पंडरिया तक प्रस्तावित रेल विस्तार को जोड़ते हुए नया ट्रैफिक सर्वे कराया जाता है, तो इस रेल कॉरिडोर का आरओआर 12 से 14 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। रेलवे परियोजनाओं के लिए इसे एक बेहद मजबूत आर्थिक आधार माना जाता है।

आदिवासी अंचल की बन सकती है जीवनरेखा

प्रस्तावित रेल मार्ग से बिलासपुर, मुंगेली, पंडरिया, मोतीनाला, बिछिया, अंजनिया, नया मंडला, बीजाडांडी, परारिया, भेड़ाघाट और जबलपुर जैसे क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रेल लाइन आदिवासी और वनांचल क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसके साथ ही कान्हा नेशनल पार्क के आसपास पर्यटन, व्यापार और स्थानीय रोजगार को भी नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है।

आखिर कब चलेगी ट्रेन?

महाकौशल और छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में अब यह मुद्दा तेजी से चर्चा में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब रेलवे ने खुद समीक्षा का आश्वासन दिया था, तो वर्षों तक इस दिशा में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब लोगों की निगाहें रेलवे बोर्ड और केंद्र सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। 180 साल पुराने इस रेल सपने को आखिर कब मिलेगी हरी झंडी - यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।

जबलपुर से बिलासपुर का शॉर्टकट रूट

पश्चिम मध्य रेल का मुख्यालय जबलपुर और दक्षिण पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय बिलासपुर के बीच में जबलपुर से मंडला के रास्ते शार्टकट रूट से बिलासपुर पहुंचा जा सकता है। जिसकी दूरी मात्र 372 किमी के आसपास रहेगी। वही अभी बिलासपुर के लिए जो रूट ऑपरेशनल है वो वाया गोंदिया और वाया कटनी होकर है। बात करे अगर जबलपुर से कटनी होकर बिलासपुर जाने की तो इसकी दूरी 407 किमी है और वाया गोंदिया होकर 517 किमी का फेरा ट्रेनें लगा रही है। ऐसे में जबलपुर मंडला बिलासपुर रूट के शुरू हो जाने से यात्रियों को समय की बचत भी होगी साथ ही रेलवे को भी कम ईंधन के साथ ज्यादा राजस्व का मुनाफा होगा।

क्या है आरओआर...

रेलवे शब्दावली में, आरओआर का अर्थ आमतौर पर रिटर्न की दरहोता है। यह प्रस्तावित रेलवे अवसंरचना, विद्युतीकरण या आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए मूल्यांकित वित्तीय लाभप्रदता या निवेश पर प्रतिफल (ऋद्ब) को संदर्भित करता है। सीधा समझे तो इसका अर्थ यह है कि यह प्रारंभिक पूंजी लागत की तुलना अनुमानित नकदी प्रवाह, बचत और उत्पन्न राजस्व से करके परियोजना की लाभप्रदता को मापता है इसका उपयोग किसी परियोजना को आर्थिक रूप से व्यवहार्य माने जाने के लिए आमतौर पर एक न्यूनतम सीमा अक्सर लगभग 14 प्रतिशत आवश्यक होती है। यदि कोई परियोजना इस सीमा से अधिक प्रतिफल (ऋक्र) प्रदान करती है, तो उसे व्यवहार्य माना जाता है यदि यह सीमा से कम होती है, तो सुरक्षा, वैधानिक दायित्वों या जन कल्याण के आधार पर औचित्य सिद्ध करना पड़ सकता है। इसकी गणना भारतीय रेलवे वित्तीय संहिता में उल्लिखित डिस्काउंटेड कैश फ्लो (डीसीएफ) तकनीक का उपयोग करके की जाती है।

इनका कहना है

अभी फिलहाल रेलवे बोर्ड की ओर से फाइनल लोकेशन सर्वे सैंक्शन नहीं हुआ है। एक बार इस परियोजना का सर्वे हो जाने के बाद ही इसपर आगे काम किया जा सकेगा। निश्चित ही इस परियोजना का लाभ रेल यात्रियों को मिलेगा।

समीरकांत माथुर
उप महाप्रबंधक, दपूमरे

रेल यात्रियों के हित में ये परियोजना सफल साबित होगी। आने वाले वक्त में निश्चित ही रेल ट्रैफिक में इज़ाफ़ा होगा। जिसके चलते यह रूट जरूर काम में आएगा। जनहित के लिए पमरे हमेशा ही बेहतर कार्यों को बढ़ावा देता आया है।

हर्षित श्रीवास्तव
सीपीआरओ, पमरे

अब्दुल रज्जाक को झटका, याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने कहा हिरासत अवैध नहीं

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट से कुख्यात बदमाश अब्दुल रज्जाक को करारा झटका लगा है। जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस आरसीएस बिसेन की युगलपीठ ने सुरक्षित अपने फैसले को सुनाते हुए स्पष्ट किया कि उसकी हिरासत अवैध नहीं है। युगलपीठ ने रज्जाक की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज करते हुए उक्त निर्देश दिये। हालांकि न्यायालय ने मामले में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया है कि वह रज्जाक और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज सभी लंबित मामलों की जानकारी उपलब्ध कराये तथा भविष्य में दर्ज होने वाले नए अपराधों की सूचना 24 घंटे के भीतर दी जाए।

यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला जबलपुर निवासी हाजी अब्दुल रज्जाक की ओर से दायर किया गया था। जिसमें आरोप था कि रज्जाक को राजनीतिक कारणों से लगातार झूठे मामलों में फंसा कर जेल में रखा जा रहा है। याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2021 में आधी रात को उन्हें घर से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन पर तीन बार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया गया, लेकिन हर बार राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड ने एनएसए को मंजूरी नहीं दी। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने बताया कि रज्जाक वर्तमान में वैधानिक आपराधिक मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं और ऐसी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में माना कि रज्जाक पर लगाए गए तीनों एनएसए आदेश अब अस्तित्व में नहीं हैं और वर्तमान हिरासत विभिन्न एफआईआर के आधार पर है। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास नियमित कानूनी उपाय जैसे जमानत आवेदन, उपलब्ध हैं। उक्त मत के साथ न्यायालय ने दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी।

अब आसमान में उड़ेगा 67 ग्राम का मिनी ड्रोन

4 छात्रों ने तैयार किया मिनी ड्रोन

राष्ट्रीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता में भी जीता पुरस्कार

नवभारत, जबलपुर। तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में युवाओं की प्रतिभा लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग के छठवें सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक सोच और तकनीकी कौशल का परिचय देते हुए मात्र 67 ग्राम वजन का अत्याधुनिक मिनी ड्रोन तैयार किया है। इस उपलब्धि ने संस्थान को गौरवान्वित किया है।

यह ड्रोन पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्प एवं विनिर्माण संस्थान (ट्रिपलआईटीडीएम) जबलपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की रोबोटिक्स प्रतियोगिता के लिए तैयार किया गया था, जिसमें ड्रोन का वजन 100 ग्राम से कम रखना अनिवार्य था। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने चुनौती को अवसर में बदलते हुए हल्के एवं मजबूत मटेरियल का उपयोग कर सफलतापूर्वक ड्रोन तैयार किया और प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार हासिल किया।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र संस्कार चौरसिया ने नवभारत को चर्चा के दौरान बताया कि इस प्रोजेक्ट को अदनान पाटनवाला, हिबा खान, मनसू चौकसे और समीप चौकसे के साथ मिलकर मात्र 25 दिनों में तैयार किया गया है। विद्यार्थियों ने कॉलेज के प्रोफेसरों के मार्गदर्शन और ऑनलाइन रिसर्च के माध्यम से इसकी डिजाइनिंग एवं तकनीकी संरचना विकसित की। साथ ही उन्होंने बताया कि इस ड्रोन की अनुमानित लागत लगभग 6 से 7 हजार रुपये है।

मोबाइल और रिमोट दोनों से नियंत्रित

विशेष रूप से तैयार किया गया यह ड्रोन मोबाइल एवं रिमोट दोनों माध्यमों से संचालित किया जा सकता है। मोबाइल आधारित वाई-फाई कनेक्टिविटी पर इसकी रेंज लगभग 200 से 500 मीटर तक रहती है, जबकि रिमोट कंट्रोल से इसकी उड़ान क्षमता 2.5 से 3 किलोमीटर तक पहुँच जाती है।

आधुनिक तकनीक और सेंसर का उपयोग

ड्रोन में माइक्रो कंट्रोलर, हल्की लेकिन शक्तिशाली बैटरी, प्लास्टिक प्रोपेलर और आधुनिक सेंसर तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें जाइरोस्कोप, एक्सेलरोमीटर एवं बैरोमीटर जैसे सेंसर लगाए गए हैं, जो इसे संतुलित और सुरक्षित उड़ान प्रदान करते हैं। मोबाइल से संचालन के लिए ईएसपी ऐप का उपयोग किया जाता है। वाई-फाई से कनेक्ट होने पर यह सेंसर को सिग्नल भेजता है और सेंसर डेटा के आधार पर ड्रोन नियंत्रित होकर उड़ान भरता है।

सेना भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी

नवभारत, जबलपुर। भारतीय सेना भर्ती वर्ष 2027 के लिए आयोजित होने वाली ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी होने शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी 15 मई 2026 से ज्वाइन इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट ज्वाइन इंडिया आर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय जबलपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाकम 1 जून से 12 जून तक मध्यप्रदेश के 8 शहरों भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना एवं उज्जैन में बनाए गए 12 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। परीक्षा विभिन्न श्रेणियों के लिए आयोजित होगी। इनमें अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर कार्यालय सहायक एवं स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समेन 10वीं एवं 8वीं पास, महिला सेना पुलिस, सैनिक तकनीकी एनए एवं एनए चिकित्सा, सिपाही फार्मा, हवलदार शिक्षा सूचना तकनीक, साइबर, सूचनात्मक कार्यवाही, भाषाविद एवं धार्मिक शिक्षक, जूनियर कमीशन अधिकारी शामिल हैं। किसी भी प्रकार की सहायता अथवा अतिरिक्त जानकारी के लिए अभ्यर्थी अपने संबंधित सेना भर्ती कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

बैंक खाते सील, 2 .89 करोड़ होल्ड करने का आदेश

विवादित जमीन संबंधी पूर्व आदेश की नाफरमानी पर कोर्ट सख्त

जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डीपी सूत्रकार की अदालत ने पूर्व आदेश की नाफरमानी करते हुए विवादित जमीन को बेचने के एक मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मामले के तीन अभियुक्तों के बैंक खातों को सील करते हुए उनमें जमा 2.89 करोड़ की राशि को तत्काल प्रभाव से होल्ड करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही साइबर शाखा जबलपुर और माढ़ोताल थाना प्रभारी को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। अदालत ने इस मामले में आरोपियों पर आरोप तय करने और तर्कों को सुनने के लिए 18 जूनए 2026 की अगली तारीख नियत की है।

यह विवाद परिवादी सुभाष चंद्र केसरवानी और आरोपी पक्ष दीक्षितपुरा, जबलपुर निवासी राजेश कुमार अवस्थी, कु. रश्मि अवस्थी व गीता अवस्थी से संबंधित है।

परिवादी सुभाष चन्द्र और आरोपियों के दिवंगत पिता स्व. योगेश चंद्र अवस्थी के बीच जमीन को लेकर 13 मार्च 1995 से सिविल कोर्ट में विवाद लंबित था। इस मामले में एक सक्षम अदालत ने सुभाषचन्द्र के पक्ष में निर्णय (डिक्री) पारित करते हुए आरोपियों को उनके पक्ष में जमीन का विक्रय पत्र निष्पादित करने का आदेश दिया था। आरोपियों को यह अच्छी तरह पता था कि अदालत ने जमीन की रजिस्ट्री सुभाषचन्द्र के नाम करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से आरोपियों ने 26 दिसंबर, 2024 को उस डिक्री शुदा जमीन को किसी अन्य खरीदार को दो करोड़ नवासी लाख रुपये में बेच दिया और राशि हड़प ली। परिवादी की शिकायत पर थाना माढ़ोताल में मामला पंजीबद्ध कर चालान कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने माना कि आरोपितों ने अदालत की डिक्री का उल्लंघन कर अवैध रूप से लाभ कमाया है। इसलिये जमीन बेचकर कमाए गए 2.89 करोड़ अपराध का आगम हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोर्ट ने तीनों आरोपियों के मोबाइल नंबरों से जुड़े बैंक खातों में 2.89 करोड़ तक की राशि को तत्काल होल्ड करने के निर्देश दिए।

लापता ट्रांसपोर्ट कर्मी का शव मिलने से सनसनी

नवभारत, जबलपुर। लार्डगंज थानांतर्गत स्थित बल्देवबाग के अग्रवाल मोटर्स पंप के पास मंगलवार दोपहर को लापता ट्रांसपोर्ट कर्मी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलनें के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पंचनामा कार्रवाई के बाद पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। लार्डगंज पुलिस ने बताया कि हरदौल मंदिर के पास थाना कोतवाली निवासी गुड्डू यादव उम्र 56 वर्ष का शव अग्रवाल मोटर के सामने पड़ा मिला है जो कि कल रात से घर नहीं पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मृतक के शरीर में हल्की चोट के निशान हैं वहीं प्रथम दृष्टया पुलिस ने कहा है कि गुड्डू यादव की मौत संभवतः हार्ट अटैक से हुई है।

भवन निर्माण
भवन निर्माण 1500/- वर्गफुट कंस्ट्रक्शन
मॉड्यूलर किचन, लेटबाथ, स्टील रेलिंग, बिजली, पानी, मटेरियल सहित कम्पलीट वर्क
संपर्क- कमलेश पटेल, मोबाइल 6260334877

Mr. Solar
महाकौशल का सबसे भरोसेमंद
कोई झूठा वादा नहीं, सिर्फ सच
सोलर पार्टनर
• कम बिजली बनने पर क्षतिपूर्ति हम करेंगे
• विक्रय पश्चात सर्वोत्तम वाशिंग एवं मेंटेनेंस सर्विस
• सबसे तेज सब्सिडी प्रोसेसिंग
• सर्टिफाइड प्रोडक्ट
because you deserve the best
Office : Pls call us on 6267100743, 9644555001
Mr. Solar & Co- 402, 4th Floor, Kaushalya Vihar Apartment, Near Bhanwartal Garden, Napier Town, Jabalpur

होली लाईट चिल्ड्रन्स ऐकेडमी हॉयर सेकेण्डरी स्कूल
प्रवेश प्रारम्भ
Holy Light Children's Academy Higher Secondary School
शासन द्वारा मान्यता प्राप्त (नर्सरी से बारहवीं तक) हिन्दी एवं अग्रेंजी माध्यम
नोट- गरीबी रेखा कार्ड धारकों को फीस में विशेष् सुविधा
- अभिभावकों को मोबाईल एप द्वारा विद्यालय की समस्त जानकारी लाईव
- अनुभवी शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा अध्यापन
- स्वस्थ शिक्षा वातावरण
- खेलकूद के लिये मैदान व शाला भवन की स्थाई ईमारत
- विशिष्ट शिक्षण विधियों द्वारा अध्यापन, नैतिक/पारम्परिक संस्कारों से सुसज्जित शिक्षा
- पेंटिग, ड्राईग, योग कक्षा, जूड़ों का विशेष प्रशिक्षण, कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था
- पिकनिक, आनंद मेला, वार्षिकोत्सव व क्राफ्ट प्रदर्शनी का प्रत्येक वर्ष आयोजन
फेल विद्यार्थी निराश न हो दसवीं, बारहवीं गारण्टी से पास
सभी BA, B.Com., B.Sc., LLB, B.Ed, M.Ed. हेतु संपर्क करें
Jai Prakash Nagar, Adhartal, Jabalpur (MP) 482004 Mob: 9301646302, 9407059444

DELHI PUBLIC SCHOOL, NIGAHI
(Under the aegis of The Delhi Public School Society)
(CBSE Affiliation No. 1030126)
P.O. NIGAHI, DIST : SINGRAULI (MP) 486884
एन सी एल NCL
Recruitment of Teachers & Staff on contractual basis for the session 2026-27:
- PGT - Biology, Commerce (Acc. & B.St.) Physical Education & Computer Science.
- TGT - English, Hindi, Maths, Science, Social Science & Computers.
- PRT - (All subjects).
- PRT - Pre Primary Classes.
- Counselor & Wellness Teacher
- Librarian
- LDC
- Support Staff (Class IV) - Peon & Ayah
Note : Apply within 15 days of this advertisement
For details and 'Application Form' visit website : www.dpsnigahi.org
PRINCIPAL

GREEN VALLEY PUBLIC SCHOOL
A Residential & Day Boarding School
NURSERY TO CLASS 12th ADMISSIONS OPEN 2026-27
BIG DREAMS NEED A BIG START
GVPS SHAPE THE LEADERS OF TOMORROW WITH FUTURE-READY FACILITIES
KEY FEATURES
- Affiliated to CBSE
- Bus Facility
- Air Cooled Hostel
- Atal Tinkering Lab
- Separate Hostel for Girls & Boys
- Safe Campus
- Large Playground
- Healthy Environment
- Greenery in Abundance
- State of Art Classrooms
- Digital Classrooms
- CCTV Surveillance
For more Information 9300154300, 9300119919
Raigwan, Next to Bharat Petroleum, Patan Road, Jabalpur

LEONARD H.S.SCHOOL
(Recognised by Govt of M.P.)
Classes : Nursery to 12th
Come and join us ADMISSION OPEN
Informatics Practices/Maths Science/Commerce/Arts Groups
- The School is located in a Peaceful and eco friendly atmosphere.
- Emphasis is given on Spoken English in all the classes.
- Sports and Cultural activities are held on a regular basis.
- Excellent Board Results Year after Year.
53, Denning Road, Behind Civil Line Police Station Jabalpur (MP)
Phone : 0761-4030678, 9425387092, 7999910499

नवरात्रि एवं ईद पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
JYOTI INNER ZONE
10% से 15% तक की भारी छूट
LUX cozi INNER WEAR | AMUL MACHO | JOCKEY | RUPA | DIXCY SCOTT
1222, Main Road Ganjipura, Near Super Market, Jabalpur (MP) 0761- 4038008

ADMISSION OPEN ENGLISH MEDIUM CBSE PATTERN
BULBUL KIDS KINGDOM
HIGH SCHOOL | UNIFORM FREE | NURSERY, L.K.G., U.K.G. & 1st to 10th
New Ram Nagar, Sanskar Parisar Ke Aage Amkhera Road, Adhartal, Jabalpur
Mo. 9301408550, 9301408551 Web:bulbilkidskingdom.com

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57